

स्थाई जमा / स्मार्टमनी खाता सुविधा प्रारंभ प्रपत्र

द हाँगकाँग एंड शांघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया (बैंक)

दिनांक : _____ जमा प्रारंभ करने की शाखा : _____ शाखा का एसओएल आईडी : _____

(केवल स्थाई जमा / स्मार्टमनी खाता सुविधा (एसएमए) के लिए आवेदन करने वाले वर्तमान निवासी ग्राहकों के लिए)

ग्राहकों के व्यक्तिगत विवरण :

एकल / प्रथम खाताधारक

संबोधन : श्री श्रीमती सुश्री डॉ. क. प्रो. लागू नहीं कोई अन्य

नाम _____
प्रथम _____ मध्यम _____ अंतिम _____

जन्मतिथि (दिन/माह/वर्ष) _____ लिंग : पुरुष महिला तृतीय लिंग

जन्म का देश : _____

बहु-राष्ट्रीयता

राष्ट्रीयता : हाँ नहीं _____ राष्ट्रीयता 2 : हाँ नहीं _____ राष्ट्रीयता 3 : हाँ नहीं _____

मोबाइल नंबर : _____

वर्तमान निवास का पता

फ्लैट नंबर एवं बिल्डिंग नंबर : _____

रोड नंबर / नाम _____

क्षेत्र एवं भूचिन्ह _____

नगर एवं राज्य _____ देश _____ पिन कोड _____

इस पते पर कब से निवास है (दिन/माह/वर्ष) _____

पिछला पता (यदि वर्तमान पते पर निवासी 3 वर्ष से कम हो)

फ्लैट नंबर एवं बिल्डिंग नंबर : _____

रोड नंबर / नाम _____

क्षेत्र एवं भूचिन्ह _____

नगर एवं राज्य _____ देश _____ पिन कोड _____

वरिष्ठ नागरिक : हाँ नहीं (यदि जन्मतिथि ग्राहक आईडी में अद्यतन नहीं है तो इसका प्रमाण आवश्यक)

संयुक्त खाताधारक (1)

संबोधन : श्री श्रीमती सुश्री डॉ. क. प्रो. लागू नहीं कोई अन्य

नाम _____
प्रथम _____ मध्यम _____ अंतिम _____

जन्मतिथि (दिन/माह/वर्ष) _____ लिंग : पुरुष महिला तृतीय लिंग

जन्म का देश : _____

बहु-राष्ट्रीयता

राष्ट्रीयता : हाँ नहीं _____ राष्ट्रीयता 2 : हाँ नहीं _____ राष्ट्रीयता 3 : हाँ नहीं _____

मोबाइल नंबर : _____

वर्तमान निवास का पता

फ्लैट नंबर एवं बिल्डिंग नंबर : _____

रोड नंबर / नाम _____

क्षेत्र एवं भूचिन्ह _____

नगर एवं राज्य _____ देश _____ पिन कोड _____

इस पते पर कब से निवास है (दिन/माह/वर्ष) _____

हस्ताक्षर

प्रथम आवेदक

द्वितीय आवेदक

तृतीय आवेदक



पिछला पता (यदि वर्तमान पते पर निवासी 3 वर्ष से कम हो)

फ्लैट नंबर एवं बिल्डिंग नंबर : _____

रोड नंबर / नाम _____

क्षेत्र एवं भूचिन्ह _____

नगर एवं राज्य _____ देश _____ पिन कोड _____

वरिष्ठ नागरिक : हाँ नहीं (यदि जन्मतिथि ग्राहक आईडी में अद्यतन नहीं है तो इसका प्रमाण आवश्यक)

संयुक्त खाताधारक (2)

संबोधन : श्री श्रीमती सुश्री डॉ. क. प्रो. लागू नहीं कोई अन्य

नाम _____

प्रथम

मध्यम

अंतिम

जन्मतिथि (दिन/माह/वर्ष) _____ लिंग : पुरुष महिला तृतीय लिंग

जन्म का देश : _____

बहु-राष्ट्रीयता

राष्ट्रीयता : हाँ नहीं _____ राष्ट्रीयता 2 हाँ नहीं _____ राष्ट्रीयता 3 हाँ नहीं _____

मोबाइल नंबर : _____

वर्तमान निवास का पता

फ्लैट नंबर एवं बिल्डिंग नंबर : _____

रोड नंबर / नाम _____

क्षेत्र एवं भूचिन्ह _____

नगर एवं राज्य _____ देश _____ पिन कोड _____

इस पते पर कब से निवास है (दिन/माह/वर्ष) _____

पिछला पता (यदि वर्तमान पते पर निवासी 3 वर्ष से कम हो)

फ्लैट नंबर एवं बिल्डिंग नंबर : _____

रोड नंबर / नाम _____

क्षेत्र एवं भूचिन्ह _____

नगर एवं राज्य _____ देश _____ पिन कोड _____

वरिष्ठ नागरिक : हाँ नहीं (यदि जन्मतिथि ग्राहक आईडी में अद्यतन नहीं है तो इसका प्रमाण आवश्यक)

पैन घोषणा* :

पर्मेनेन्ट अकाउंट नं. (जो लागू न हो, कृपया उसे काट दें)

मेरा पैन नंबर _____

एकल/प्रथम खाताधारक

संयुक्त खाताधारक (1)

संयुक्त खाताधारक (2)

* पैन कार्ड विवरण ₹ 50,000 और उससे अधिक के सभी स्थाई जमा के लिए अनिवार्य है. कृपया बैंक रिकॉर्ड के लिए इसकी एक प्रति जमा करवाएँ (यदि इसे पहले जमा नहीं करवाया गया है).

संलग्न प्रपत्र 60/61 की प्रति _____

एकल/प्रथम खाताधारक

संयुक्त खाताधारक (1)

संयुक्त खाताधारक (2)

खाता विवरण

1. स्थाई जमा करवाने / एसएमए सुविधा का लाभ लेने हेतु बचत/चालू खाता संख्या _____
2. स्थाई जमा के विवरण (एफडी)/एसएमए सुविधा _____
3. स्थाई जमा का प्रकार साधारण संचयी साधारण संचयी साधारण संचयी
4. स्थाई जमा की राशि 1 2 3
5. स्थाई जमा(ओं) की अवधि 1 2 3
6. परिपक्वता निर्देश (+P+,+P-,P-) +P+ +P- -P- +P+ +P- -P- +P+ +P- -P-
7. परिपक्वता प्राप्ति का जमा खाता सं. _____
8. निर्दिष्ट टीडीएस खाता सं. _____
9. स्मार्टमनी खाता सुविधा चाहिए (हाँ/नहीं) _____
10. स्थाई जमा खाता सं. (वर्तमान स्थाई जमाओं पर उपलब्ध करवाई गई एसएमए सुविधा संबद्धता उपलब्ध करवाने पर) _____
11. स्मार्टमनी खाता सुविधा के लिए रूपांतरित की जाने वाली खाता सं. _____
12. अन्य भुगतान विकल्प नकदी चेक

हस्ताक्षर

प्रथम आवेदक

द्वितीय आवेदक

तृतीय आवेदक

ब्याज भुगतान विकल्प (केवल मासिक/त्रैमासिक विकल्पों के लिए)

- मेरे एचएसबीसी बैंक खाता सं.: _____ में जमा किजिए.
- _____ (नाम) में जारी एवं _____ (नगर) पर देय डीडी/पीओ
- एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से _____ बैंक, जिसका आईएफएससी कोड _____ है, में मेरी खाता सं. _____ में निधि अंतरित करें.

*परिपक्वता निर्देश

कृपया ध्यान दें कि, परिपक्वता निर्देश ग्राहकों के लिए अनिवार्य है। पी से तात्पर्य मूलधन और आई से तात्पर्य ब्याज से है।

+पी+आई = मूलधन और ब्याज दोनों का स्वचालित रूप से नवीकरण हो जाएगा।

+पी-आई = केवल मूलधन का नवीकरण होगा और ब्याज आहरित होगा।

-पी-आई = मूलधन और ब्याज दोनों आहरित होंगे।

**ग्राहकों को टीडीएस की वसूली के लिए नामित खाता प्रदान करना है।

स्थाई जमा(ओं) के मामले में परिपक्वता प्राप्ति का आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से पुनर्भुगतान किया जाएगा (कृपया आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए अलग से प्रपत्र भरें)।

नामांकन : नामांकन की सलाह दी जाती है, कृपया संलग्न नामांकन प्रपत्र पूरा करें।

हस्ताक्षर करने के निर्देश

एकल रूप से, कोई भी या उत्तरजीवी, द्वारा संयुक्त रूप से, संयुक्त (पूर्व या उत्तरजीवी), कोई भी अन्य।

मोबाइल अलर्ट सदस्यता लेने वालों के लिए

कृपया मेरे निम्नलिखित स्थाई जमा नंबरों पर मुझे मोबाइल अलर्ट प्रदान करें :

1. स्थाई जमा नंबर _____

2. स्थाई जमा नंबर _____

(आप अपना स्थाई जमा परिपक्व होने से 7 दिन पूर्व अनुस्मारक सूचना प्राप्त करेंगे)

ध्यान दें : इस सेवा का सक्रियण खाता संख्या और खाताधारक के हस्ताक्षर के संतोषजनक सत्यापन के अधीन है।

कोई अन्य निर्देश (कृपया उल्लेख करें) _____

स्मार्टमनी खाता सुविधा (एसएमए)

मैं/हम, _____ जिसके/जिनके विवरण का इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है (यहाँ इसके पश्चात मैं/हम/ग्राहक(कों) के रूप में संदर्भित, जिस पद में जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो उनका/उनके/अंशभागी, निष्पादक, उत्तराधिकारी, प्रशासक और वारिस शामिल हैं) बैंक से मेरे/हमारे के लिए ऊपरोक्त स्थाई जमा/स्मार्टमनी खाता सुविधा के विवरणों के अंतर्गत निर्दिष्ट परिपक्वता निर्देशों के साथ _____ की अवधि के लिए ₹ _____ की स्मार्टमनी खाता सुविधा मंजूर करने लिए अनुरोध किया है।

1. मुझे/हमें पता है कि स्मार्टमनी खाता सुविधा (एसएमए) बैंक के पास एकल/संयुक्त स्थाई जमा पर ग्रहणाधिकार की प्रतिभूति के विरुद्ध अस्थाई ओवरड्राफ्ट सुविधा है, जिसका विवरण इसके साथ संलग्न खाता खोलने के प्रपत्र में दिया गया है। बैंक को उक्त स्थाई जमा में पड़ी राशियों के विरुद्ध बैंक के प्रति मेरे/हमारे द्वारा बकाया और देय किसी भी बकाया देयराशियों को पृथक करने का अधिकार होगा।

2. एसएमए सुविधा के अंतर्गत, मैं/हम बैंक के पास उक्त संबद्ध स्थाई जमा और उसके नवीनीकरण(णों) में से कुल राशि का निम्नलिखित ब्याज दर पर 90% तक या ऐसी कम राशि तक और तब तक आहरित कर सकते हैं जैसा कि बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार से उचित समझे :

- आहरित राशि पर ब्याज स्थाई जमाओं पर लागू ब्याज दरों के भारित औसत पर 2% प्रति वर्ष की दर से प्रभारित किया जाएगा।

- यदि ओवरड्राफ्ट का मूल्य संबद्ध जमा मूल्य के 90% से अधिक हो जाता है, तो ऐसे समय तक जब तक विनियमित नहीं किया जाता है, आहरित मूल्य पर ओवरड्राफ्ट ब्याज की बैंक की अनधिकृत ओवरड्राफ्ट दर से गणना की जाएगी।

3. यदि स्थाई जमा को समय से पहले आहरित किया जाता है, तो वह ब्याज दर जिसका ब्याज दरों के भारित औसत की गणना करने के लिए ध्यान रखा जाएगा, अनुबंधित दर होगी जो ऐसे समय से पहले आहरण के समय पर देय ब्याज के संदर्भ के बिना अनुबंधित अवधि के लिए मुझे/हमें देय हुई होती। यह स्थाई जमा के ऐसे समय से पूर्व नकदीकरण से संबंधित अन्य नियमों और शर्तों के भी अधीन होगा जो शायद तब लागू हो सकती हैं।

4. यदि बैंक में यथा अभिलेखित मेरे/हमारे पत्राचार के पते पर 30 दिनों की पूर्व सूचना देने के बाद मैं/हम इस सुविधा का उपयोग करने पर मेरे/हमारे द्वारा देय ब्याज तामील करने में विफल रहते हैं तो बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर एसएमए सुविधा वापस ले सकता है और मेरे/हमारे स्थाई जमा खाते(खातों) में पड़ी धनराशियों की बकाया राशि, उस पर ब्याज और/या किसी भी लागू प्रभारों सहित, के प्रति प्रयोग कर सकता है।

मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि साथ ही हस्ताक्षरकर्ताओं ने बहुमत की आयु प्राप्त कर ली है।

मैंने/हमने एसएमए सुविधा के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और एसएमए सुविधा से संबंधित नियमों और शर्तों और उसके संशोधनों से बंधे होने के लिए सहमत हूँ, जैसा कि समय-समय पर बैंक द्वारा किया गया है, जिसका विवरण बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट www.hsbc.co.in पर प्रकाशित किया गया है।

हस्ताक्षर

महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

- यदि हमें परिपक्वता से पहले पूर्व सूचना प्राप्त नहीं होती है तो आपके स्थाई जमा का नवीनीकरण परिपक्वता पर प्रचलित ब्याज दरों पर उसी अवधि के लिए स्वचालित रूप से हो जाएगा।
- एकल/प्रथम जमा धारक आम तौर पर स्थाई जमा का लाभकारी स्वामी माना जाएगा और ऐसे जमा पर ब्याज से स्रोत पर आयकर कटौती (टीडीएस) के प्रयोजनों के लिए प्राप्तकर्ता माना जाएगा।
- देय और लागू होने पर आयकर अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत बनाए गए यथा प्रवृत्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस की कटौती की जाएगी। ऐसा टीडीएस बचत/चालू/माँग जमा खाते (खातों) से वसूल किया जाएगा। कृपया वह खाता नामित करें जिससे आप चाहते हैं कि सभी मौजूदा खातों के लिए टीडीएस राशि की कटौती की जाए। जैसे भी और जब भी आप नवीनीकरण करवाते हैं/एचएसबीसी इंडिया के पास अतिरिक्त जमा रखते हैं, कृपया नामित खाते का भी विवरण प्रदान करें। संचयी जमा के लिए, खाते के गैर अभिधान या नामित खाते में धन की कमी के मामले में या यदि आप एचएसबीसी इंडिया में केवल संचयी स्थाई जमा खाता (खाते) रखते हैं, टीडीएस (जहाँ लागू हो) जमा पर संचित/भुगतान होने वाले ब्याज से वसूल किया जाएगा। निवासी/एनआरओ साधारण जमाओं के लिए, टीडीएस की वसूली के लिए लागू खाते के अभिधान के लिए आप से प्रत्यावृत्त के अभाव में या यदि नामित खाते में धनराशि नहीं है, एचएसबीसी इंडिया जमा की अंतरिम ब्याज प्राप्त करने के लिए नामित खाते से टीडीएस (जहाँ लागू हो) वसूल करेगा। यदि आप एचएसबीसी इंडिया में केवल निवासी/एनआरओ साधारण स्थाई जमा खाता(खाते) रखते हैं, तो एचएसबीसी इंडिया जमा की अंतरिम ब्याज प्राप्ति/परिपक्वता प्राप्ति (जो भी पहले हो) या नकदीकरण आय से (समय पूर्व नकदीकरण के मामले में) टीडीएस (जहाँ लागू हो) वसूल करेगा। कृपया हमारी शाखा में संपर्क करें और यदि कम टीडीएस लागू होता है तो आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें, जैसा कि प्रासंगिक कर संधियों द्वारा प्रावधान किया गया है। खाता खोलने के फार्म के साथ और साथ ही प्रत्येक नया वित्तीय वर्ष आरंभ होने से पहले इन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एचएसबीसी इंडिया ऐसे किन्हीं भी दावों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसलिए टीडीएस की आहरण के लिए कोई भी दावा सीधे भारत सरकार में निहित होगा और एचएसबीसी इंडिया किसी भी तरीके से उत्तरदायी नहीं होगा।

- वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उन लोगों के लिए जो टीडीएस में छूट का दावा करने के लिए पात्र हैं, आपसे हमारी शाखाओं में कर्मचारियों को प्रासंगिक विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित प्रपत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि हमारी शाखाओं में ये प्रपत्र उपलब्ध हैं और आवेदन प्रपत्र के साथ ही पे प्रपत्र उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रस्तुत किया जाना है।

एचएसबीसी इंडिया, एकमात्र/संयुक्त जमाकर्ता (ओं) के अनुरोध पर, समय से पहले आहरण पर अर्थदंड के अधीन जैसा कि आहरण के समय लागू हो सकता है, जमा के स्थापन के समय सहमत जमा की अवधि पूरा होने से पहले स्थाई जमा के आहरण की अनुमति दे सकता है। 1 अक्टूबर 2013 से लागू होने के साथ, समय से पहले आहरण पर, स्थाई जमा के अंतर्गत रखी गई और रखने की तिथि से निरपेक्ष, स्थाई जमा 1% की दायित्व दर आकर्षित करेगी।

देय ब्याज, उस अवधि के लिए जिस अवधि के लिए जमा एचएसबीसी इंडिया के पास बनी रही है, जमा के स्थापन की तिथि पर प्रचलित दर या संविदात्मक दर से दायित्व दर द्वारा यानी 1% से कम की जाएगी। समय से पहले जमा की निकासी पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा जो उस न्यूनतम अवधि से कम अवधि के लिए एचएसबीसी इंडिया के पास बनी रही है, जिस अवधि के लिए, जमा के स्थापन की तिथि को जमाओं को उक्त मुद्रा और जमा प्रकार के लिए स्वीकार किया जा रहा था।

- संयुक्त खाताधारकों में से एक (या एक से अधिक, लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, अनुबंध की शर्तों के अनुसार और वैध दस्तावेज के विरुद्ध उत्तरजीवी (उत्तजीवियों) से संयुक्त अनुरोध के प्रति समय से पहले समापन की अनुमति दी जाएगी।

सभी जमा धारकों की मृत्यु की स्थिति में नामांकन अनुबंध की शर्तों के अनुसार और वैध दस्तावेज पर स्थाई जमा की समयपूर्व निकासी की माँग की जा सकती है। ऐसे समय-पूर्व आहरण पर कोई भी दंडात्मक प्रभार नहीं लगेगा।

हालाँकि स्थाई जमा के समय-पूर्व आहरण के मामले में, ब्याज का उस अवधि के लिए लागू ब्याज दर पर भुगतान किया जाएगा है, जिस अवधि के लिए जमा एचएसबीसी इंडिया के पास बना रहा है।

- संयुक्त खाताधारकों के मामले में, जहाँ खाताधारकों में से एक वरिष्ठ नागरिक है, विशेष वरिष्ठ नागरिक स्थाई जमा ब्याज दर लागू होगी, बशर्ते कि वरिष्ठ नागरिक उक्त स्थाई जमा पर 'प्रथम धारक' हो।

स्मार्टमनी खाते के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

विशेषताएँ

स्मार्टमनी खाता सुविधा बचत खाता और स्थाई जमा(ओं) का संयोजन है, जो हॉगकाँग एंड शांघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया (बैंक) के मौजूदा खाताधारक को, जो बैंक द्वारा प्रदान की जा रही इस सुविधा का लाभ उठाने का इच्छुक है (यहाँ इसके बाद इसे उधारकर्ता कहा गया है), स्थाई जमा के उच्च प्रतिफल का उपभोग करते हुए भी उधारकर्ता की आवश्यकताएँ पूरा करने के लिए तरलता और लचीलापन बनाए रखने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता औसत तिमाही शेष राशि/औसत मासिक शेष राशि (एक्यूब्री/एएमबी) बनाए रखे बिना बचत खाते के सभी लाभ ले सकता है।

ओवरड्राफ्ट सुविधा

उधारकर्ता स्थाई जमा(ओं) के मूलधन मूल्य का 90% तक आहरित कर सकता है जिसे इस सुविधा से जोड़ा गया है। सुविधा में अतिआहरित राशि के प्रति ओवरड्राफ्ट ब्याज देय है, जबकि संबद्ध स्थाई जमा(ओं) द्वारा स्थापन/नवीनीकरण की तिथि से लागू दर पर ब्याज अर्जित करना जारी रखा जाता है। संबद्ध स्थाई जमा(ओं) को बैंक के पक्ष में प्रभारित किया जाएगा और बैंक ऐसे सभी स्थाई जमाओं पर पृथक करने और ग्रहणाधिकार के अधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत है।

ओवरड्राफ्ट प्रभार

आहरित राशि पर ब्याज, बैंक की अधिकतम प्रधान उधारी दर के अधीन, जैसा कि समय-समय पर बैंक द्वारा घोषित किया जा सकता है, संबद्ध स्थाई जमाओं के लिए लागू ब्याज दरों के भारत* औसत पर 2% प्रति वर्ष की दर से प्रभारित की जाएगी। ओवरड्राफ्ट पर ब्याज की ऐसी तिथि तक, जब तक कि ब्याज/प्रभार सहित ओवरड्राफ्ट का पुनर्भुगतान नहीं कर दिया जाता है, निर्दिष्ट ब्याज दर से ऊपर ओवरड्राफ्ट की तिथि से दैनिक बकाया शेषराशि पर गणना की जाती है। उपाजित ओवरड्राफ्ट ब्याज हर महीने की शुरुआत में सुविधा से जुड़े बैंक खाते से डेबिट हो जाएगा। यदि ओवरड्राफ्ट का मूल्य संबद्ध जमा मूल्य का 90% से अधिक हो जाएगा, तो ओवरड्राफ्ट ब्याज की ऐसे समय तक जब तक कि यह संबद्ध जमा के मूल्य के 90% के भीतर नियमित नहीं हो जाता है, ओवरड्राफ्ट मूल्य (90% से परे) पर अनधिकृत ओवरड्राफ्ट दर पर गणना की जाएगी। अनधिकृत ओवरड्राफ्ट दरें 'सामान्य खाता नियम/नियम और शर्तें' के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट www.hsbc.co.in पर प्रदर्शित की जाती हैं।

* भारत औसत का उदाहरण :

यदि एक स्थाई जमा (डी1) 4% (आर1) ब्याज दर पर ₹400,000 के लिए है और एक जमा (डी2) 6% (आर2) ब्याज दर पर ₹100,000 के लिए है, तो फिर ओडी ब्याज दर 6.4% होगी (भारित औसत** + 2%)

**भारित औसत :

$$= \frac{[डी1 * आर1\% + डी2 * आर2\%]}{(डी1 + डी2)}$$

$$= \frac{[(400,000 * 4\%) + (100,000 * 6\%)]}{(400,000 + 100,000)}$$

$$= 4.4\%$$

यदि उधारकर्ता इस सुविधा के उपयोग पर देय ब्याज तामील करने में विफल रहता है, तो बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, बैंक के पास अद्यतन किए गए पिछले पत्राचार के पते पर उधारकर्ता को सूचना प्रदान करने के 30 दिन बाद उक्त सुविधा वापस ले सकता है और इस सुविधा के अंतर्गत खोले गए स्थाई जमा खाते में की धनराशियाँ बकाया राशि, उस पर ब्याज और/या किसी भी संबंधित प्रभार सहित, के प्रति समायोजित कर सकता है।

पात्रता

न्यूनतम 18 वर्ष की आयु का निवासी भारतीय इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। न्यूनतम स्थाई जमा मूल्य जो इस सुविधा के लिए पात्र है, सुविधा के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट में यथा परिभाषित है। मौजूदा बचत खाता इस सुविधा के लिए लागू विशिष्ट दस्तावेजी अपेक्षाओं की पूर्ति के अधीन इस सुविधा में परिवर्तित किया जा सकता है।

नियमित बैंक खाते में एसएमए का समापन/रूपांतरण

यदि संबद्ध स्थाई जमा का आहरण किया जाना है तो इस प्रकार आहरित राशि पहले बकाया राशि, उस पर ब्याज और/या संबद्ध बचत खाते में किन्हीं संबंधित प्रभारों सहित, के विरुद्ध समायोजित की जाएगी।

स्थाई जमा की समयपूर्व निकासी के मामले में, ओवरड्राफ्ट ब्याज दर, जिस पर कि विचार किया जाएगा स्थाई जमाओं की मूल अनुबंधित ब्याज दरों का भारत औसत होगी, न कि इस तरह की समयपूर्व निकासी के समय स्थाई जमा की ब्याज दर होगी। यह स्थाई जमा के ऐसे समय से पहले नकदीकरण से संबंधित अन्य नियमों और शर्तों के भी अधीन होगी। बैंक को सभी संयुक्त उधारकर्ताओं द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लिखित आवेदन देकर इस सुविधा को किसी भी समय बंद किया जा सकता है या नियमित बचत बैंक खाते में परिवर्तित किया जा सकता है। ओवरड्राफ्ट सुविधा पर देय प्रभारों/ब्याज सहित बकाया राशि सुविधा बंद करने/रूपांतरित करने से पहले वसूल की जाएगी। इस सुविधा के समापन के अनुसार स्टैंडअलोन बचत खाते पर यथा लागू नियम और शर्तें लागू होंगी।

अन्य शर्तें

1. स्थाई जमा पर परिपक्वता निर्देश के अभाव में, जिसे सुविधा का लाभ उठाने के लिए जोड़ा गया है, बैंक के पास प्रचलित ब्याज दर पर समान अवधि के लिए परिपक्वता तिथि पर स्थाई जमा(ओं) का नवीनीकरण स्वतः रूप से करने का अधिकार होगा, जब तक कि परिपक्वता से पहले इसके विपरीत करने का निर्देश उधारकर्ता से प्राप्त नहीं हो जाता है। नवीनीकरण नवीनीकरण के समय प्रवृत्त नियामकीय दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। उक्त स्थाई जमा के नवीकरण पर भी यह सुविधा जारी रहेगी जब तक कि उधारकर्ता द्वारा अन्यथा सूचित नहीं किया जाता है।
2. सुविधा के साथ परिपक्वता निर्देश वाली स्थाई जमा पर, बैंक स्थाई जमा रखने के समय उधारकर्ता द्वारा अभिव्यक्त परिपक्वता निर्देश का पालन करेगा और उक्त स्थाई जमा पर भी यह सुविधा जारी रहेगी जब तक कि उधारकर्ता द्वारा अन्यथा सूचित नहीं किया जाता है।
3. संबद्ध बचत/चालू खाते में स्थाई जमा की प्राप्ति/जमा करने की परिपक्वता निर्देश वाले स्थाई जमा (स्थाई जमा रखने के समय पर उधारकर्ता द्वारा ली गई सुविधा के साथ), बैंक ऐसी किसी भी राशि की कटौती करने के बाद स्थाई जमा की प्राप्ति/जमा करेगा, जो संबद्ध बचत/चालू खाते के लिए अतिदेय ब्याज, प्रभारों, लागतों, खर्चों सहित, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं, देय और बकाया हो सकती हैं और सुविधा बंद कर देगा, जब तक उधारकर्ता द्वारा अन्यथा सूचित नहीं किया जाता है।

4. स्मार्टमनी खाता सुविधा क्लस्टर जमा सुविधा के साथ एक नहीं की जा सकती है।

स्मार्टमनी खाता सुविधा से संबंधित विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए और न्यूनतम शेष राशि और कुल संबंध शेषराशि अपेक्षाओं के लिए कृपया www.hsbc.co.in देखें।

5. बैंक और एचएसबीसी समूह के अन्य सदस्यों के लिए वित्तीय अपराध पता लगाने, जाँच करने और रोकथाम करने (वित्तीय अपराध जोखिम प्रबंधन गतिविधि) से संबंधित, और उसके संबंध में अनुपालन दायित्व पूरा करने के लिए कोई भी कार्यवाही करना आवश्यक है और कर सकते हैं और वित्तीय अपराध से संबंधित विभिन्न क्षेत्राधिकारों में कार्य करने वाले सार्वजनिक और नियामकीय अधिकारियों के कानूनों, विनियमों और अनुरोधों के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। बैंक कोई भी कार्यवाही कर सकता है और एचएसबीसी समूह के किसी अन्य सदस्य को करने के लिए निर्देश दे सकता है (या द्वारा करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है) जिसे वह या ऐसे अन्य सदस्य अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक से, ऐसे सभी कानूनों विनियमों और अनुरोधों के अनुसार उचित समझता है/समझते हैं।

ऐसी कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये यहाँ तक सीमित नहीं हैं : (क) सेवाओं के लिए किसी भी निर्देश, संचार, नुकसान अनुरोध, आवेदन या आपको या आपके द्वारा या आपकी ओर से भेजे गए किसी भी भुगतान का अनुवीक्षण, अवरोधन और जाँच करना, (ख) धन के स्रोत या अभिप्रेत प्राप्तकर्ता की जाँच करना, (ग) एचएसबीसी समूह के पास मौजूद अन्य संबंधित सूचनाओं के साथ ग्राहकों की जानकारी संयुक्त करना, और/या (घ) व्यक्ति या संस्था की स्थिति के संबंध में आगे जाँच करना, क्या वे अनुमोदन व्यवस्था के अधीन हैं, या आपकी पहचान और स्थिति की पुष्टि करना और (च) ऐसे एचएसबीसी समूह कार्यालयों के साथ वित्तीय अपराध की रोकथाम के संबंध में गोपनीय आधार पर सूचना साझा करना चाहे वह भारत में स्थित हों या विदेशों में।

असाधारण रूप से, हमारी वित्तीय अपराध जोखिम प्रबंधन गतिविधि हमें कोई भी भुगतान करने या समाशोधित करने, सेवाओं के लिए या सभी सेवाओं या सेवाओं के अंश के प्रबंध के लिए आपके निर्देशों या आवेदन का प्रसंस्करण विलंबित, अवरुद्ध करने या अस्वीकार करने की दिशा में ले जा सकती है। कानून द्वारा अनुमति प्राप्त सीमा तक, न तो हम और न ही एचएसबीसी समूह का कोई अन्य सदस्य किसी भी हानि (चाहे प्रत्यक्ष हो या परिणामी और बिना सीमाबंधन के, लाभ या ब्याज की हानि, चाहे जैसे भी यह पैदा हुई हो, सहित) के संबंध में आप या किसी तृतीय पक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे/होगा जिसे वित्तीय अपराध जोखिम प्रबंधन गतिविधि के उपक्रम के संबंध में पूर्ण या आंशिक रूप से आप या किसी तृतीय पक्ष द्वारा भुगतान या वहन किया गया है।

कुछ विशेष परिस्थितियों में कार्यवाही, जो बैंक कर सकता है, कुछ विशेष सूचनाएँ रोक सकती है या के प्रसंस्करण में देरी कर सकती है। इसलिए न तो बैंक और न ही एचएसबीसी समूह का कोई भी सदस्य आश्वासन देता है कि किसी भी भुगतान संदेश या अन्य सूचनाओं और संचारों से संबंधित बैंक की प्रणाली पर कोई भी सूचना, जो इस धारा के अनुसार की गई किसी भी कार्यवाही के विषयाधीन है, ऐसी कार्यवाही किए जाने के दौरान उपयोग के समय सही, सामयिक या अद्यतन है।

वर्तमान धारा के प्रयोजन के लिए : अनुपालन दायित्वों से आशय : (क) कानूनों या अंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शनों और आंतरिक नीतियों या प्रक्रियाओं (ख) अधिकारियों की ओर से किन्हीं माँगों या प्रतिवेदनों, प्रकटीकरण या कानूनों के अंतर्गत अन्य दायित्वों, और (ग) हमसे अपने ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने की माँग करने वाले कानूनों का पालन करने के एचएसबीसी समूह के दायित्व से है।

वित्तीय अपराध में मनी लाँड्रिंग, आतंकवाद का वित्तपोषण, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, कर अपवंचन, धोखाधड़ी, आर्थिक या व्यापार मंजूरीयों का अपवंचन और/या इन विषयों से संबंधित किसी भी कानून को नाकाम बनाने या उल्लंघन करने वाला कोई भी कृत्य या प्रयास शामिल है।

6. दस्तावेज/पत्राचार

(क) अपने ग्राहक को जानिए/उचित कर्मिष्ठता अपेक्षा : बैंक की नीति की अपेक्षाओं के अनुसार, नया खाता खोलते समय या जैसे और जब भी बैंक द्वारा अनुरोध किया जाता है, अन्य दस्तावेजों के साथ अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि ग्राहक बैंक की नीति के अनुसार उचित कर्मिष्ठता अपेक्षाएँ पूरा करने में सक्षम नहीं है तो बैंक, बैंक के पास रखे गए नए खुले/मौजूदा खातों में परिचालन की अनुमति देने/सीमित करने के विरुद्ध अधिकार सुरक्षित रखता है।

(ख) अप्राप्त पत्राचार : यदि अकाउंट डिलिवरेबल्स/वेलकम लेटर/वेलकम पैक/खाता विवरण तक ही सीमित नहीं बैंक पत्राचार, आदि अप्राप्त वापस लौट आते हैं और बैंक खाता खोलते समय खाताधारक द्वारा प्रदान किए गए/बैंक अभिलेख में अद्यतन किए गए पते/संपर्क नंबर पर खाताधारक से संपर्क करने में असमर्थ है, तो बैंक, बैंक के पास रखे गए नए खुले/मौजूदा खातों में लेनदेन अवरुद्ध करने/परिचालन की अनुमति देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7. कर अभ्यावेदन

(क) व्यक्तिगत खाता : आप किसी भी ऐसे दायित्व की पूर्ति करने के लिए जिम्मेदार हैं जो आपका बिना सीमाबंधन के, सभी आय, पूंजीगत लाभ, धनसंपत्ति और संपदा शुल्क, स्टॉप शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर और किसी भी अन्य लागू कर सहित सभी प्रासंगिक करों के संबंध में रिटर्न या अन्य आवश्यक दस्तावेज दाखिल करने और के भुगतान के संबंध में हो सकता है। आपके खाते का सृजन और सतत परिचालन और/या ऐसे खाते में निवेश या परिसंपत्तियों का अधिग्रहण, धारण करना या निपटान के साथ ही खाते के परिचालन के संबंध में प्राप्त कोई भी आय, वितरण या हानियाँ आपके लागू अधिवास, आपके निवास स्थल, आपकी नागरिकता या उस परिसंपत्ति के प्रकार जो आप अपने खाते में रखते हैं, सहित, लेकिन इसी तक सीमित नहीं है, कई कारकों के आधार पर आपको कर परिणामों के लिए अनावृत कर सकती हैं। कुछ विशेष देशों का आपके अधिवास, निवास या नागरिकता के स्थान से निरपेक्ष राज्यक्षेत्रातीत प्रभाव के साथ कर कानून हो सकता है। बैंक कोई भी कानूनी या कर सलाह प्रदान नहीं करता है और आपको स्वतंत्र कानूनी और/या कर सलाहकार से कानूनी और/या कर सलाह लेनी चाहिए। आप स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि बैंक का आपके किसी भी कर दायित्व और/या तृतीय पक्ष द्वारा आपको प्रदान की गई किसी भी कानूनी और/या कर सलाह के संबंध में कोई दायित्व नहीं है।

(ख) गैर व्यक्तिगत खाता : ग्राहक (और प्रत्येक संबंधित व्यक्ति) बिना सीमाबंधन के सभी आय, पूंजीगत लाभ, धनसंपत्ति और संपदा करों सहित सभी प्रासंगिक करों के प्रतिवेदन और भुगतान के संबंध में रिटर्न या अन्य आवश्यक दस्तावेज दाखिल करने के संबंध में अपना स्वयं का दायित्व पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं। आपके खाते का सृजन और सतत परिचालन और/या ऐसे खाते में निवेश या परिसंपत्तियों का अधिग्रहण, धारण करना या निपटान के साथ ही खाते के परिचालन के संबंध में प्राप्त कोई भी आय, वितरण या हानियाँ लागू अधिवास, निवासस्थल, नागरिकता, निगमन के स्थान या खाते में रखी गई परिसंपत्ति के प्रकार सहित, लेकिन तक सीमित नहीं है, कई कारकों के आधार पर आपको (या किसी भी संबंधित व्यक्ति को) कर परिणामों के लिए अनावृत कर सकती हैं। कुछ विशेष देशों का अधिवास, निवास या नागरिकता या निगमन के स्थान से निरपेक्ष राज्यक्षेत्रातीत प्रभाव के साथ कर कानून हो सकता है। बैंक कोई भी कानूनी या कर सलाह नहीं प्रदान करता है और आपको (और प्रत्येक संबंधित व्यक्ति) को स्वतंत्र कानूनी और/या कर सलाहकार से कानूनी और/या कर सलाह लेनी चाहिए। आप स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि बैंक का आपके (या संबंधित व्यक्ति के) किसी भी कर दायित्व और/या तृतीय पक्ष द्वारा आपको प्रदान की गई किसी भी कानूनी और/या कर सलाह के संबंध में कोई दायित्व नहीं है।

ग्राहक घोषणा

खाता नियम पढ़ और समझकर मैं/हम पुष्टि करता/करती हूँ/करते हैं, और एतद् द्वारा नियम और शर्तों और समय-समय पर बैंक द्वारा किए गए खाते(तों) से संबंधित संशोधनों और किसी भी और संशोधनों से बाध्य होने के लिए सहमत हूँ/हैं। (खाता नियमों/नियमों और शर्तों की प्रति www.hsbc.co.in पर उपलब्ध है)।

मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि बैंक को अपने विवेकाधिकार पर खाता नियमों और नियमों और शर्तों में संशोधन करने का अधिकार होगा, जिन्हें समय-समय पर वेबसाइट पर डाला जाएगा। मैं समय-समय पर खाता नियमों में होने वाले संशोधनों के लिए बैंक की वेबसाइट सत्यापित करने का वचन देता/देती हूँ।

मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि इसमें मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी सत्य और सही है, जिसका बैंक सीधे या किसी तृतीय पक्ष के एजेंट के माध्यम से सत्यापन करने का अधिकारी है। मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि, यदि मेरे/हमारे द्वारा दी गई ऐसी कोई घोषणा गलत पाई जाती है, तो बैंक मेरे/हमारे द्वारा खोले गए खाते (खातों) पर किसी भी ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है और खाता संबंध समाप्त करने का अधिकारी है।

मैं/हम सहमत हूँ/हैं और स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं कि बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के लागू दिशा निर्देशों के अनुसार किसी तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता, चाहे विदेश में अवस्थित हो या भारत में, को मेरे/हमारे बारे में डेटा या सूचना साझा करने या अंतरित करने की आवश्यकता पड़ सकती है, जो बैंक के कारोबार के परिचालन के संबंध में बैंक को बहिष्कृत सेवाएँ प्रदान करते हैं। सूचनाओं का ऐसा कोई भी सहभाजन या अंतरण कड़ाई से गोपनीय आधार पर किया जाएगा और बैंक ऐसी सूचना की सख्त गोपनीयता बनाए रखने का प्रयास करेगा। हालांकि, यदि किसी कानून, नियम या विनियम द्वारा आवश्यक या अनुमत है या किसी भी सार्वजनिक या नियामकीय प्राधिकारी के अनुरोध पर बैंक या ऐसे तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता, चाहे भारत में अवस्थित में हों या विदेश में, सूचना का प्रकटीकरण कर सकते हैं, या यदि ऐसा धोखाधड़ी रोकने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है।

मैं/हम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों और उसमें किए गए संशोधनों का पालन करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी और होंगे।

मोबाइल अलर्ट सदस्यता वाले लोगों के लिए

मैं/हम मोबाइल अलर्ट सेवाओं का लाभ लेना चाहता/चाहती हूँ/चाहते हैं और बैंक के पास पंजीकृत अपने मोबाइल फोन नंबर पर एसएमएस अलर्ट प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ/चाहते हैं। मैंने/हमने सेवा से संबंधित नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है (जिसकी प्रति www.hsbc.co.in पर खाता नियम के अंग के रूप में उपलब्ध है)। मैं समझता/समझती हूँ कि बैंक अपने पूर्ण विवेक से, मुझे/हमें कोई भी सूचना दिए बिना सेवा पूरी तरह से या आंशिक रूप से बंद कर सकता है। मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि बैंक समय-समय पर प्रचलित प्रशुल्क के अनुसार सेवा शुल्क के लिए मेरा/हमारा खाता डेबिट कर सकता है। मैं/हम उपरोक्त नियमों और शर्तों और भविष्य में समय-समय पर इसमें किए जाने वाले किसी भी परिवर्तन से बाध्य होना स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं और बाध्य होने के लिए सहमत हूँ/हैं। मैं/हम अपने मोबाइल फोन नंबर में कोई भी बदलाव होने की स्थिति में तुरंत बैंक को सूचित करने का वचन देता/देती हूँ/देते हैं। मैं/हम यह भी समझता/समझती हूँ/समझते हैं कि इस सेवा के अंतर्गत एसएमएस अलर्ट में कुछ व्यक्तिगत और/या खाते की जानकारी शामिल हो सकती है। मैं/हम समझता/समझती हूँ/समझते हैं और स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं कि जहाँ बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा कि मेरी/हमारी व्यक्तिगत/खाते की जानकारी गोपनीय रखी जाए, वहीं एसएमएस अलर्ट पूरी तरह से सुरक्षित होने की गारंटी नहीं दी जा सकती है और बैंक का इस संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा।

मैं/हम समझता/समझती हूँ/समझते हैं और स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं कि :

- एचएसबीसी अपने ग्राहकों को कोई भी कर सलाह नहीं प्रदान करता है
- मैं/हम समझता/समझती हूँ/समझते हैं कि कर कानूनों का पालन करना मेरी/हमारी जिम्मेदारी है और तदनुसार मेरे/हमारे द्वारा विश्व भर में यथा लागू कर प्रतिवेदन और दाखिल करने के दायित्व का पालन किया जाएगा।
- मैं/हम एचएसबीसी द्वारा अनुरोध की गई कोई भी जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य हूँ/हैं जो कानून द्वारा अपेक्षित है।
- मैं/हम समझता/समझती हूँ/समझते हैं कि जहाँ एचएसबीसी द्वारा मेरे/हमारे लिए विशिष्ट कर सलाह के लिए बाहरी संगठन को निर्दिष्ट किया जाता है, तो ऐसी कर सलाह के लिए अनुबंध मेरे/हमारे और तृतीय पक्ष बीच में है और प्रदान की गई कोई भी सलाह ऐसे तृतीय पक्ष की न कि एचएसबीसी की जिम्मेदारी है।

सहमति धारा

1. मैं/हम समझता/समझती हूँ/समझते हैं कि मुझे/हमें ऋण/अग्रिम/अन्य गैर निधि आधारित ऋण सुविधाओं के अनुदान से संबंधित पूर्व शर्त के रूप में, बैंक मुझसे/हमसे संबंधित सूचना और डेटा, मेरे/हमारे द्वारा लाभ उठाई गई/लाभ उठाई जाने वाली साख सुविधा का, उसके संबंध में मेरे/हमारे द्वारा ग्रहण किए गए दायित्व और उसके निर्वहन में मेरे/हमारे द्वारा की गई चूक, यदि कोई है, का बैंक द्वारा प्रकटीकरण करने के लिए मेरी/हमारी सहमति की मांग करता है।
2. तदनुसार, मैं/हम एतद् द्वारा सहमत हूँ/हैं और सभी या ऐसे किसी की भी बैंक द्वारा प्रकटीकरण के लिए सहमति देता/देती हूँ/देते हैं :
 - (क) मुझसे/हमसे संबंधित सूचना और डेटा;
 - (ख) मेरे/हमारे द्वारा लाभ उठाए गए/लाभ उठाई जाने वाली किसी भी साख सुविधा से संबंधित सूचना और डेटा, और
 - (ग) मेरे/हमारे ऐसे दायित्व के निर्वहन में मेरे/हमारे द्वारा की गई चूक, यदि कोई है, जैसा कि बैंक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल) और / या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को प्रकटीकरण या प्रस्तुत करने के लिए उचित और आवश्यक समझे।
3. मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि बैंक को मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत सूचना और डेटा सत्य और सही हैं।
4. मैं/हम, वचन देते हैं कि :
 - (क) सिबिल और/या इस प्रकार अधिकृत कोई अन्य एजेंसी बैंक द्वारा प्रकट उक्त सूचना और डेटा का उपयोग, संसाधित कर सकते हैं; तथा
 - (ख) सिबिल और/या इस प्रकार अधिकृत कोई अन्य एजेंसी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं और अन्य क्रेडिट गारंटर्स को, उनके द्वारा तैयार किए गए तत्संबंधी उत्पादों की संसाधित सूचना और डेटा विचार के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं जैसा कि इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
5. मैं/हम स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं कि बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर किसी भी तृतीय पक्ष एजेंसियों/सेवा प्रदाताओं को कोई भी गतिविधियाँ आवंटित करने का हकदार बना रहेगा। मैं/हम पुनः बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मेरे/हमारे खाते का विवरण प्रदान करने, सूचना साझा और अंतरित करने का बैंक का अधिकार स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं जो एचएसबीसी समूह कार्यालयों या किसी अन्य तृतीय पक्ष एजेंसियों/सेवा प्रदाताओं के लिए गोपनीय आधार पर होगा, चाहे भारत में अवस्थित हों या विदेशों में और साथ ही, यदि किसी कानून, नियम या विनियम द्वारा आवश्यक या अनुमत है या किसी भी सार्वजनिक या नियामकीय प्राधिकारी के अनुरोध पर या यदि ऐसा प्रकटीकरण धोखाधड़ी रोकने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है तो मुझ से/हम से, किसी भी और विशिष्ट सहमति या प्राधिकरण के बिना जानकारी प्रकट कर सकता है।

ग्राहक के हस्ताक्षर

प्रथम आवेदक

दिनांक : _____

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिखाया गया खाताधारकों का / के हस्ताक्षर वास्तविक और सही हैं।

मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए (बैंक कर्मचारी द्वारा)

कर्मचारी का नाम _____

कर्मचारी संख्या _____

द्वितीय आवेदक

तृतीय आवेदक

नामांकन प्रपत्र डीए1

(नामांकन बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 के अनुच्छेद 45 जेडए तथा बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 के नियम 2(1) जो बैंक जमा के संबंध में है, के अंतर्गत).
 मैं/हम (खाताधारक(कों) का(के) नाम एवं पता(ते) प्रविष्ट करें)

निम्नांकित व्यक्ति को नामांकित करता/करती हूँ/करते हैं, जिसे मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने की स्थिति में द हॉगकाँग एंड शांघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उस शाखा / कार्यालय का नाम और पता प्रविष्ट करें जहाँ जमा किया गया है) द्वारा जमा की राशि, जिसके विवरण नीचे दिए गए हैं, वापस की जा सकती है.

जमा		नामांकित				
जमा की प्रकृति, विभेदक सं. # ⁵	अतिरिक्त विवरण, यदि कोई हो	नाम	पता	जमाकर्ता से संबंध, यदि कोई हो	आयु (वर्ष)	यदि नामांकित अवयस्क हो तो जन्मतिथि

*चूँकि नामांकित इस तिथि पर अवयस्क है, इसलिए नामांकित की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने की स्थिति में मेरे/हमारे द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी (नाम और पता) _____

आयु _____ को नामांकित की ओर से जमा की राशि प्राप्त करने हेतु नियुक्त किया जाता है.

खाता-विवरण/पासबुक/स्थायी जमा प्राप्ति पर नामांकित का नाम मुद्रित किया जाए :

हाँ नहीं

आवेदक(कों) के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप*

प्रथम आवेदक

द्वितीय आवेदक

तृतीय आवेदक

दिनांक : _____

गवाह

(1)

नाम _____

हस्ताक्षर _____

पता _____

गवाह

(2)

नाम _____

हस्ताक्षर _____

पता _____

⁵खाता संख्या या प्राप्ति संख्या, जो भी लागू हो, को व्यक्त करें.

[#]'चालू खाता', 'बचत खाता', 'सावधि जमा खाता; आवर्ती जमा खाता' जैसा भी मामला हो, व्यक्त करें.

^{*}यदि नामांकित अवयस्क न हो तो इसे काट दें.

^{*}जहाँ जमा अवयस्क के नाम से किया गया हो, नामांकन उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, जो अवयस्क की ओर से कार्य करने हेतु वैधानिक रूप से पात्र हो.

[@]अंगूठे की छाप(पों) को दो गवाहों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए.

[#]नामांकन में कोई अंतर या निरस्तीकरण निर्धारित प्रारूप में, जमाकर्ता के, और एक से अधिक होने पर सभी जमाकर्ताओं और/या उनके उत्तरजीवियों के हस्ताक्षरों के अंतर्गत होगा, जैसा भी मामला हो.

टिप्पणी : बैंक द्वारा यह अनुशंसा की जाती है कि सभी जमाकर्ता नामांकन सुविधा प्राप्त करें. जमाकर्ता (ओं) की मृत्यु होने की स्थिति में नामांकित को वैधानिक मामलों के न्यासी के रूप में खाते में बकाया शेष राशि प्राप्त होगी, जिससे त्वरित और आसान निपटान में मदद मिलती है.

This page has been intentionally left blank

नामांकन प्रपत्र डीए1

(नामांकन बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 के अनुच्छेद 45 जेडए तथा बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 के नियम 2(1) जो बैंक जमा के संबंध में है, के अंतर्गत).
 मैं/हम (खाताधारक(कों) का(के) नाम एवं पता(ते) प्रविष्ट करें)

निम्नांकित व्यक्ति को नामांकित करता/करती हूँ/करते हैं, जिसे मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने की स्थिति में द हाँगकाँग एंड शांघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उस शाखा / कार्यालय का नाम और पता प्रविष्ट करें जहाँ जमा किया गया है) द्वारा जमा की राशि, जिसके विवरण नीचे दिए गए हैं, वापस की जा सकती है.

जमा		नामांकित				
जमा की प्रकृति, विभेदक सं. # ⁵	अतिरिक्त विवरण, यदि कोई हो	नाम	पता	जमाकर्ता से संबंध, यदि कोई हो	आयु (वर्ष)	यदि नामांकित अवयस्क हो तो जन्मतिथि

*चूँकि नामांकित इस तिथि पर अवयस्क है, इसलिए नामांकित की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने की स्थिति में मेरे/हमारे द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी (नाम और पता) _____

आयु _____ को नामांकित की ओर से जमा की राशि प्राप्त करने हेतु नियुक्त किया जाता है.

खाता-विवरण/पासबुक/स्थाई जमा प्राप्ति पर नामांकित का नाम मुद्रित किया जाए : हाँ नहीं

आवेदक(कों) के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप*

प्रथम आवेदक

द्वितीय आवेदक

तृतीय आवेदक

दिनांक : _____

गवाह

(1)

नाम _____

हस्ताक्षर _____

पता _____

गवाह

(2)

नाम _____

हस्ताक्षर _____

पता _____

⁵खाता संख्या या प्राप्ति संख्या, जो भी लागू हो, को व्यक्त करें.

[#]'चालू खाता', 'बचत खाता', 'सावधि जमा खाता; आवर्ती जमा खाता' जैसा भी मामला हो, व्यक्त करें.

^{*}यदि नामांकित अवयस्क न हो तो इसे काट दें.

^{*}जहाँ जमा अवयस्क के नाम से किया गया हो, नामांकन उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, जो अवयस्क की ओर से कार्य करने हेतु वैधानिक रूप से पात्र हो.

[@]अंगूठे की छाप(पों) को दो गवाहों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए.

^{##}नामांकन में कोई अंतर या निरस्तीकरण निर्धारित प्रारूप में, जमाकर्ता के, और एक से अधिक होने पर सभी जमाकर्ताओं और/या उनके उत्तरजीवियों के हस्ताक्षरों के अंतर्गत होगा, जैसा भी मामला हो.

टिप्पणी: बैंक द्वारा यह अनुशंसा की जाती है कि सभी जमाकर्ता नामांकन सुविधा प्राप्त करें. जमाकर्ता (ओं) की मृत्यु होने की स्थिति में नामांकित को वैधानिक मामलों के न्यासी के रूप में खाते में बकाया शेष राशि प्राप्त होगी, जिससे त्वरित और आसान निपटान में मदद मिलती है.

खाता अभिलेख

- SV CV SCC FCCRM NS BL
 CR/PI NA W/T.you NOM LOA SPL INST

सावधि जमा की अवधि एवं ब्याज दर, समय-पूर्व निकासी की शर्तों सहित ग्राहक को बता दी गई है. उपरोक्त विवरणों के परामर्श के बाद प्राप्त हस्ताक्षरित निर्देशों के आधार पर आवश्यकता एवं उपयुक्तता प्रमाणित हो गई है.

ग्राहक संख्या _____
 नवीन खाता संख्या(एँ) _____
 कर्मचारी आईडी एवं क्लस्टर _____
 सीईपी कोड/श्रेणी (ए/बी/सी) _____

केवायसी पूर्ण एवं खाते का आरंभ अधिकृत

पासपोर्ट	मतदाता परिचय पत्र	पैन कार्ड	शासकीय पहचान पत्र

ड्राइविंग लाइसेंस _____ अन्य _____
 आईडी नं. _____
 जारीकर्ता प्राधिकारी _____
 अवसान तिथि _____
 जारी करने का स्थान _____
 आरंभ तिथि _____
 आरंभकर्ता एमएसएफ वॉक-इन
 एसएमए सीमा _____
 सिफारिशकर्ता _____
 अनुमोदक _____

खाता आरंभ करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

कर्मचारी का नाम _____
 कर्मचारी संख्या _____
 खाते की शाखा _____
 क्लस्टर _____
 शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर _____

Issued by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India. Incorporated in Hong Kong SAR with limited liability.

FD SM AOF 02/17

ग्राहक की प्रति

दिनांक : _____ खाता सं./ग्राहक आईडी : _____ शाखा का नाम : _____
 जमा का प्रकार : स्थाई जमा आवर्ती जमा कर बचत स्थाई जमा
 आवेदक का नाम : _____ संयुक्त आवेदक : _____
 जमा की राशि (अंकों में) _____ जमा की अवधि : _____ वर्ष _____ माह _____ दिन, ब्याज दर : _____ % प्रतिवर्ष.
 ब्याज भुगतान विकल्प : संचयी त्रैमासिक मासिक परिपक्वता निर्देश : स्वतः नवीनीकरण स्वतः समापन
 टीडीएस से छूट प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वित्तवर्ष में अलग प्रपत्र 15जी/15एच जमा किया जाना चाहिए, क्योंकि छूट प्रपत्र 15जी/एच की प्राप्ति तिथि से वित्तवर्ष की समाप्ति तक उपलब्ध होगी.

बैंक अधिकारी के आद्यक्षर : _____